

शाहिद अंसारी उर्फ शाहिद इटारसी जेल से रिहा

## जेल से छूटे बदमाश का वीआईपी रोड पर जश्न, सहमे रहे आम राहगीर

► दो वर्ष पहले अपने गुर्गों के साथ फ्लैट में घुसकर एक प्रापर्टी डीलर को गोली मार दी थी

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल:** हत्या के प्रयास के मामले में दो साल से बंद बदमाश शाहिद अंसारी उर्फ शाहिद इटारसी सोमवार रात जमानत पर जेल से रिहा हुआ। उसके शागिर्दों ने बाकायदा वाहन रैली निकालकर जश्न मनाया।

खास बात यह है कि यह जुलूस उसी इलाके से निकाला गया, जहां दो वर्ष पहले उसने अपने गुर्गों के साथ मिलकर फ्लैट में घुसकर एक प्रापर्टी डीलर को गोली मार दी थी। बदमाश की रिहाई के बाद वाहन रैली का वीडियो इंटरनेट मीडिया



**वारदात के बाद विदिशा में किया था सरेंडर**

अगस्त 2024 में शाहिद ने वीआईपी रोड पर करबला के पास स्थित शालीमार अपार्टमेंट में रहने वाले शाफी हसन उर्फ गोलू को आधी रात को फ्लैट में घुसकर गोली मार दी थी। वारदात में शामिल अन्य बदमाशों ने शाफी हसन पर तलवार से भी वार किए थे। इस मामले में कोहेफिजा थाना पुलिस ने शाहिद के अलावा शोएब अन्ना, फिरोज उर्फ बाबा एवं आदित बच्चा के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया था। इस मामले में शाहिद ने अपने एक साथी के साथ विदिशा जिले के देहात क्षेत्र के थाने में सरेंडर कर दिया था। कोहेफिजा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया था। वह तभी से जेल में था।

पर जमकर वायरल हुआ है। पुलिस का कहना है कि फुट्रेज के आधार पर मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

सोमवार रात शाहिद इटारसी को हत्या के प्रयास के मामले में जमानत मिल गई। बड़ी संख्या में समर्थक उसे लेने के लिए कई कारों एवं दोपहिया वाहनों से जेल पहुंचे थे। रात करीब 10 बजे लालघाटी चौराहा पहुंचने पर समर्थकों ने बाकायदा रैली

की शक्ति में वाहन चलाना शुरू कर दिए। एक कार की खुली छत से शाहिद अपने समर्थकों का हाथ हिलाकर अभिवादन करता रहा।

इस दौरान शहर की एकमात्र वीआईपी सड़क पर आमवाहन चालक लाचार बने रहे। चौकाने वाली बात यह है कि लगभग छह किलोमीटर तक निकले इस जश्न के जुलूस के दौरान पुलिस नजर नहीं आई। शाहिद के

समर्थकों ने लाइव वीडियो बनाए और इंटरनेट मीडिया के समूहों में प्रसारित भी किए।

इस मामले में एसीपी शाहजहानाबाद अनिल वाजपेयी का कहना है कि शाहिद उर्फ इटारसी के स्वागत का मामला संज्ञान में आया है। फुट्रेज के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अन्य थाना क्षेत्रों से भी शाहिद का पुलिस रिकार्ड बुलाया जा रहा है।

## शांति नगर जिनालय से निकली शोभा यात्रा



**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल:** शांति नगर स्थित श्री शांति नाथ जिनालय सिंधी कालोनी से मंगलवार को गाजे बाजे के साथ प्रभु शांतिनाथ की शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु रजत मय पालकी में विराजमान प्रभु को आराधना कर जयकार लगा रहे थे।

मंदिर समिति अध्यक्ष पदम सराफ ने बताया कि विभिन्न मार्गों से भ्रमण करने के बाद यात्रा पुनः मंदिर परिसर पहुंचकर संपन्न हुई। तत्पश्चात अभिषेक अनुष्ठान हुए

सामूहिक क्षमावाणी महोत्सव में सभी ने एक दूसरे से क्षमा मांगी। इस मौके पर समाज की प्रतिभाओं का सम्मान हुआ।

श्री शांति नाथ जागृति महिला मंडल की एडवोकेट आशा जैन ने बताया महिलाओं द्वारा सजाए 64 चंचर सजाए गए। साथ ही सुमधुर भजनों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर सुबोध जैन, स्वदेश, अमृत लाल, दीपक, राजू, प्रदीप, महिला मंडल की सविता, कीर्ति, मोनल, रुचि, विनीता आदि मौजूद थे।

### राष्ट्रीय पोषण माह में देश में तीसरे स्थान पर

**नप्र, भोपाल :** मध्यप्रदेश ने राष्ट्रीय पोषण माह-2026 में पोषण जागरूकता और जनभागीदारी के प्रयासों में देश में तीसरा स्थान हासिल किया है। 12 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे तक प्रदेश में 1 करोड़ 9 लाख 66 हजार 805 गतिविधियों की प्रविष्टियां दर्ज की गईं। वहीं, प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिलों ने राष्ट्रीय स्तर पर क्रमशः पहला और दूसरा स्थान प्राप्त किया।

राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत देशभर में कुल 11 करोड़ 91 लाख 64 हजार 823 गतिविधियों की प्रविष्टियां दर्ज की गईं। बिहार 1 करोड़ 49 लाख 93 हजार 265 प्रविष्टियों के साथ पहले, महाराष्ट्र 1 करोड़ 38 लाख 66 हजार 923 के साथ दूसरे और मध्यप्रदेश तीसरे स्थान पर रहा। प्रदेश के सभी 55 जिलों ने अभियान में भागीदारी की, जबकि देश के 788 जिलों में से 785 जिलों की सहभागिता दर्ज की गई।

इस वर्ष नौवें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ 9 सितंबर को किया गया। इसकी थीम 'हमारी आंगनवाड़ी, हमारी जिम्मेदारी' रखी गई है। इसका उद्देश्य आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण, देखभाल और प्रारंभिक बाल विकास सेवाओं को मजबूत करना तथा समुदाय की भागीदारी बढ़ाना है।

## प्रदेश में 32 हजार शिक्षकों की पदोन्नति की तैयारी तेज

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल:** मध्य प्रदेश में करीब 32 हजार शिक्षकों की लंबित पदोन्नति प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने तैयारी तेज कर दी है। संचालनालय ने उच्च माध्यमिक शिक्षकों की गोपनीय चरित्रावली, सेवा रिकॉर्ड और विभागीय जांच से संबंधित जानकारी 25 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित प्रारूप में मांगी है। पदोन्नति से पहले वर्ष 2018 से 2025 तक के सेवा रिकॉर्ड का सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए 1 अप्रैल 2026 की स्थिति में जारी अंतिम वरिष्ठता सूची को आधार बनाया गया है। संयुक्त संचालक कार्यालयों को जिलों से जानकारी जुटाकर निर्धारित समय-सीमा में रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। विभागीय जांच, स्वीच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले शिक्षकों और वरिष्ठता क्रमांक में संशोधन से जुड़े मामलों की भी जांच होगी। अधिकारियों को रिकॉर्ड में त्रुटियां नहीं होने का प्रमाण पत्र देना होगा। संचालनालय ने लगभग 6,500 शिक्षकों की श्रेणीवार वरिष्ठता सूची के सत्यापन के निर्देश भी दिए हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा दिसंबर में संभावित है। विभाग के अफसर, परीक्षा में सफल होने वाले शिक्षकों की पदोन्नति निर्धारित नियमों और वरिष्ठता के आधार पर की जाएगी।

## उमराह के नाम पर ठगी, ट्रैवल्स संचालक गिरफ्तार

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल:** मक्का-मदीना में उमराह कराने का झांसा देकर लोगों से मोटी रकम हड़पने के मामले में पुलिस ने कोहिनूर हज एंड उमराह सर्विसेज के संचालक हाफिज राहिल खान को गिरफ्तार कर लिया है। उसे कोर्ट में पेश किया गया, वहां से उसे जेल भेज दिया गया।

कोतवाली थाना पुलिस के मुताबिक अभी तक चार फरियादियों से लगभग 10 लाख रुपये की धोखाधड़ी की बात सामने आई है। कुछ और पीड़ितों की शिकायतों की भी जांच की जा रही है। ठगी से हड़पी

गई राशि 50 लाख तक पहुंच सकती है। पूछताछ में पता चला कि उमराह के लिए रुपये देने वाले लोग जब सफर के बारे में हाफिज से पूछते थे, तो वह टालमटोल करता रहता था। रुपये वापस करने की बात करने पर वह ईरान-इजराइल के युद्ध को लेकर बहाना बना देता था। अधिक दबाव बनाने पर हाफिज ने यश बैंक का चेक भी दिया था, लेकिन खाते में रकम नहीं रहने के कारण वह बाउंस हो गया था। इस मामले में पीड़ित रिजवान मिर्जा ने ऑनलाइन भुगतान के सबूत पुलिस को दिए हैं। इस मामले में पुलिस इस

## मिठाई दुकानों और डेयरियों की होगी जांच

**नप्र, भोपाल :** नवरात्र, दशहरा और दीपावली के दौरान खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ने के साथ मिलावट की आशंका को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने निगरानी बढ़ाने की तैयारी की है। विभाग की टीमों मिठाई दुकानों और डेयरियों की जांच करेगी। इसके अलावा बसों और ट्रेनों के माध्यम से बाहर से आने वाले मावा और पनीर पर भी नजर रखी जाएगी। त्योहारों के दौरान मिठाई, दूध, दूध उत्पाद और नमकीन की खपत बढ़ जाती है। ऐसे में मिलावटी और अमानक खाद्य सामग्री की बिक्री रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

## विजय मेवाड़ा हत्याकांड के अहम् गवाह को जान से मारने की धमकी

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल:** अशोकागार्डन थाना इलाके में लगभग छह माह पहले हुए सनसनीखेज विजय मेवाड़ा हत्याकांड में अहम गवाह को जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है।

इस संबंध में पुलिस ने जेल में बंद आरोपी आसिफ उर्फ बम के भाई शरीफ बच्चा और उसके साथी मुशर्रफ के खिलाफ दर्ज किया है। अशोकागार्डन थाना पुलिस के मुताबिक विजय मेवाड़ा की हत्या के मामले में उसका कर्मचारी कृष्णा मुख्य गवाह है। कृष्णा की मां ने पुलिस

को शिकायत में बताया कि सोमवार को वह अशोकागार्डन क्षेत्र में लिट्टी चोखा लेने गई थी। वहां शरीफ बच्चा और उसका साथी मुशर्रफ वहां पहुंचे और उससे बेटे कृष्णा के बारे में जानकारी ली। साथ ही हाथ से पिस्टल की तरह इशारा करते हुए धमकाया कि आसिफ के खिलाफ गवाही देने पर जान से मार दिया जाएगा। शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। शार्ट एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया था आसिफ को सुभाष कालोनी निवासी विजय

मेवाड़ा की अशोकागार्डन के अलावा कोलार में भी होटल थी। रोजाना की तरह 28 माह की रात को विजय अपने कर्मचारी कृष्णा को घर छोड़ने प्रगति नगर जा रहा था। वहां उसे आसिफ उर्फ बम अपने साथियों फरमान, कालू और इमरान के साथ मिला। वे लोग विजय के कर्मचारी को अपने साथ ले जाना चाह रहे थे। विरोध करने पर उन्होंने विजय की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में मुख्य आरोपी विजय को पुलिस ने शार्ट एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया था।

### मुख्यमंत्री ने तेजकुंवरबाई को दी श्रद्धांजलि

**नप्र, भोपाल :** मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चेतन्य काश्यप की माताजी और समाजसेवी स्व. तेजकुंवरबाई काश्यप के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक संवेदनाएं व्यक्त कीं। वे मंगलवार को रतलाम स्थित विसाजी मेंशन, स्टेशन रोड पहुंचे। उन्होंने स्व. काश्यप के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। साथ ही शोकाकुल परिजन से भेंट कर उन्हें ढांढस बंधाया।

## भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ में 18 पदाधिकारियों की नियुक्ति

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल:** भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश चिकित्सा प्रकोष्ठ में संगठनात्मक विस्तार के तहत प्रदेश पदाधिकारियों और जिला संयोजकों की नियुक्तियों की गई हैं।

प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की सहमति से चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉ. विशाल सिंह बघेल ने नौ जिलों में जिला संयोजक और प्रदेश स्तर पर नौ पदाधिकारियों की घोषणा की है। जिला संयोजकों में मुरैना से डॉ. शिवनाथ सिंह तोमर, भिंड से डॉ. कृष्ण शिवकुमार राजोरिया, गुना से डॉ. भूपेंद्र सिंह ठाकरे, सिवनी से डॉ. भूपेंद्र मिश्रा, नर्मदापुरम से डॉ. (मेजर) जयकृष्ण मणि पहाड़िया, बैतूल से डॉ. अरुण जयसिंह कुचे, खरगोन से डॉ. काशीराम शर्मा,

कटनी से डॉ. राजेंद्र गुप्ता और विदिशा से डॉ. गौरव शर्मा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश स्तर पर डॉ. बलराम गुप्ता, डॉ. राहुल सपरा, डॉ. सचेत व्यास, डॉ. अश्विनी द्विवेदी, डॉ. गौरव प्रताप सिंह, डॉ. शिवशंकर गुजर और डॉ. कृष्ण हरजानी को प्रदेश सह संयोजक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा डॉ. हरेन्द्र सिंह भदौरिया को प्रदेश कार्यालय मंत्री और डॉ. गौरव विजयवर्गीय को सेवा प्रकल्प प्रदेश प्रभारी बनाया गया है।

### फार्म हाउस पर सदिग्ध परिस्थितियों में आग से झुलसकर महिला की मौत

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल:** बैरसिया थाना इलाके में सोमवार दोपहर एक फार्महाउस में काम करने वाली महिला की सदिग्ध परिस्थितियों में आग से झुलसकर मौत हो गई।

बैरसिया थाना पुलिस के मुताबिक 29 वर्षीय कुसुमबाई पत्नी ओमप्रकाश कुशवाहा ग्राम कलारा की रहने वाली थी। वर्तमान में वह पति के साथ ग्राम हिनौतिया पीरान में नईम भाई के फार्म हाउस पर रह रही थी। ओमप्रकाश ने खेत बटवाई पर लिया था। सोमवार दोपहर ओमप्रकाश मवेशियों को पानी पिलाने गया था, जबकि कुसुम गैस चूल्हे पर चाय बना रही थी, तभी अचानक आग भड़कने से वह बुरी तरह झुलस गई। कमरे से धुआं निकलता देख ओमप्रकाश मौके पर पहुंचा और पानी डालकर किसी तरह आग बुझाई। वह बुरी तरह झुलस गई पत्नी को उपचार के लिए बैरसिया के सरकारी अस्पताल पहुंचा। हालत गंभीर होने के कारण वहां से उसे हमीदिया अस्पताल के लिए रेफर कर दिया था। उपचार के दौरान सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात लगभग दो बजे कुसुम की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

## दत्त मंदिर में गरबा महोत्सव संपन्न महिलाओं का हुआ सम्मान



**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल:** अरेरा कालोनी स्थित श्रीदत्त मंदिर में शारदीय नवरात्र पर्व पर आयोजित दो दिनी गरबा उत्सव सोमवार शाम संपन्न हुआ। इस अवसर पर महिलाओं का सम्मान किया गया।

आयोजन समिति की अध्यक्ष रोहिणी शिंगवेकर ने बताया कि गरबा के दौरान महिलाओं के कुटीर एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु गृह उपयोगी एवं खाद्य पदार्थों के स्टॉल भी लगाए गए थे। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर सोनाली

वायंगणकर, प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन एवं डॉ. प्रिया भावे चित्तार उपस्थित रहीं। प्रवक्ता संजय जोशी ने बताया कि कार्यक्रम में सामाजिक, एवं अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कर करने वाली महिलाओं को 'आदि शक्ति नारी सम्मान' से सम्मानित किया गया। इनमें संध्या देवलालीकर, पूनम तत्ववादी, नीलम त्रिपाठी, रंजना देशमुख, मनीषा नेमावरकर, मैथिली साठे, रुचिका सचदेवा, प्रज्ञा मुळे, रीता कानस्कर को शाल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह देकर सम्मनित किया गया।

## मां कंकाली को कल अर्पित होगी 201 मीटर लंबी चुनरी

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल:** भेल क्षेत्र स्थित ग्राम खजुरी कलां के श्री राम जानकी मंदिर सांस्कृतिक मंडल के तत्वावधान में गुरुवार को परंपरागत भव्य चुनरी यात्रा निकलेगी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पदयात्रा करते हुए विभिन्न मार्गों से होकर मां कंकाली धाम पहुंचेंगे। वहां माता की 201 मीटर लंबी चुनरी अर्पित की जाएगी। इस

दौरान सभी की खुशहाली, उत्तम फसल, सुख-समृद्धि और क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए विशेष प्रार्थना की जाएगी। मंडल के अध्यक्ष अनुपसिंह एवं प्रवक्ता कुबेरसिंह राजपूत ने बताया कि गुरुवार सुबह नौ बजे खजुरी कलां स्थित शिवमंदिर में पूजा अर्चना के बाद यात्रा शुरू होगी। जो श्रीराम जानकी मंदिर से ग्राम बांसिया, जमुनिया कलां, नरूला सांगल से होते हुए माता कंकाली के धाम पहुंचेंगे। वहां महाआरती के बाद प्रसादी वितरण होगा।

### जगह-जगह होगी पुष्प वर्षा

इस धर्म यात्रा में पौराणिक प्रसंगों पर आधारित झांकियां, भजन मंडलियां, ढोल-नगाड़े, डीजे और पारंपरिक वाद्य यंत्र प्रमुख आकर्षण रहेंगे। पारंपरिक परिधानों में महिलाएं मंगल कलश एवं चुनरी लेकर सम्मिलित होंगी। श्रद्धालुओं के लिए शीतल पेय एवं सुरक्षा-व्यवस्था हेतु मंडल के स्वयंसेवक तैनात रहेंगे।

## उच्चाधिकार प्राप्त जांच समिति

**(रिट याचिका (क्रिमिनल) संख्या 280/2026 और संबंधित मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.08.2026 द्वारा गठित) शिक्षा सदन, 17 राउज एवेन्यू, नई दिल्ली सार्वजनिक सूचना**

**माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 18 अगस्त 2026 के अपने आदेश द्वारा रिट याचिका (क्रिमिनल) संख्या 280/2026 और संबंधित मामलों में, जुलाई 2026 के दौरान जंतर-मंतर, दिल्ली और दिल्ली से बाहर अन्य स्थानों पर हुई हिंसा की घटनाओं से जुड़े सभी पहलुओं और उससे उत्पन्न व्यापक मुद्दों की जांच के लिए एक पांच सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त जांच समिति (HPEC) का गठन किया है।**

HPEC माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 18 अगस्त 2026 के आदेश के पैराग्राफ 12 और 13 में दिए गए सभी मुद्दों की जांच करेगी, जिसमें उसके पैराग्राफ **12(i), 12(vi), 12(vii) और 13(iii)** में उल्लेखित मुद्दों के साथ-साथ माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10 सितंबर 2026 के पैराग्राफ 5(i) में उल्लेखित मुद्दे को प्राथमिकता दी जाएगी।

इन मुद्दों में, अन्य बातों के अलावा, **पेलेट गन के उपयोग, महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाकर की गई हिंसा और उत्पीड़न, तथा दोनों पक्षों द्वारा बड़े पैमाने पर की गई हिंसा और संपत्ति के नुकसान** से संबंधित मामले शामिल हैं।

दिनांक 18 अगस्त 2026 और 10 सितंबर 2026 के आदेशों की प्रतियां, जिनमें HPEC के गठन और समिति को सौंपे गए मुद्दों (प्राथमिकता वाले मुद्दों सहित) का विवरण शामिल है, HPEC के पोर्टल पर उपलब्ध हैं: <http://hpec.nic.in/supreme-court-orders>

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं के पक्षों को यह स्वतंत्रता दी है कि वे HPEC के अध्यक्ष के माध्यम से तय किए गए तरीके के अनुसार, ऐसे प्रासंगिक दस्तावेज, दस्तावेजी साक्ष्य और सुझाव लेकर समिति के पास जा सकते हैं जिन्हें वे उचित समझें।

माननीय न्यायालय ने **शिकायतों, अभ्यावेदन और अन्य प्रासंगिक सामग्रियों को गुप्तनाम रूप से जमा करने की भी अनुमति दी है**, ताकि शिकायतकर्ताओं और गवाहों के हितों की रक्षा की जा सके। इसके अलावा, 10 सितंबर 2026 के अपने आदेश में, माननीय न्यायालय ने HPEC को कमजोर गवाहों को उचित सुरक्षा प्रदान करने और उनकी पहचान गोपनीय व गुप्त रखने के निर्देश जारी किए हैं। माननीय न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि **HPEC के समक्ष ऐसे कमजोर गवाहों द्वारा दिए गए बयानों और साक्ष्यों के संबंध में अत्यंत गोपनीयता बनाए रखी जाएगी।**

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में, और कमजोर गवाहों के हितों की रक्षा करने तथा प्रभावित व्यक्तियों और अन्य संबंधित हितधारकों द्वारा सामग्री जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से, HPEC ने एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है, जिसे <http://hpec.nic.in> पर देखा जा सकता है।

संबंधित व्यक्तियों, गवाहों और अन्य हितधारकों की सुविधा के लिए, HPEC ने सूचना और सामग्री जमा करने के लिए निर्धारित प्रारूप भी तैयार किए हैं।

तदनुसार, **प्रभावित व्यक्ति, गवाह और अन्य संबंधित हितधारक HPEC पोर्टल पर जाकर** और जहां भी लागू हो, उचित प्रारूप का चयन करके **अपनी शिकायतें, अभ्यावेदन, बयान, दस्तावेज और अन्य प्रासंगिक साक्ष्य जमा कर सकते हैं।**

उपरोक्त के अलावा, कोई भी व्यक्ति जो 18 अगस्त 2026 और 10 सितंबर 2026 के आदेशों के तहत HPEC को संदर्भित मुद्दों से संबंधित जानकारी प्रदान करना चाहता है, वह उक्त पोर्टल के माध्यम से भी ऐसी जानकारी जमा कर सकता है। जो लोग अपनी शिकायतें, अभ्यावेदन और अन्य प्रासंगिक सामग्री भौतिक रूप से (Physically) जमा करना चाहते हैं, वे सभी कार्य दिवसों में **1400 बजे से 1600 बजे के बीच HPEC के कार्यालय: शिक्षा सदन, 17, राउज एवेन्यू इस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110002** में ऐसा कर सकते हैं। प्रस्तुतियां उपरोक्त पते पर डाक द्वारा या ईमेल: [hpecw2026.enquiry@nic.in](mailto:hpecw2026.enquiry@nic.in) पर भी भेजी जा सकती हैं।

**ऐसी सभी प्रतिक्रियाएं/प्रस्तुतियां बिना किसी देरी के की जा सकती हैं।**

**cbc19101/11/0016/2627**

**सदस्य सचिव उच्चाधिकार प्राप्त जांच समिति नई दिल्ली**